मजदूर के ऊपर गिरी सटरिंग की लकड़ी, मौत

अलग-अलग हादसों में तीन और मौतें

जागरण, रीवा

अलग-अलग हादसों में घायल हुए चार लोगों की उपचार के दौरान मौत हो गई। अस्पताल चौकी पुलिस ने शवों का पीएम कराकर परिजनों को सौंप दिया है एवं मामले को विवेचना में लिया है। एक हादसे में सेटरिंग की लकड़ी गिरने से उसमें दबकर मजदूर की मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना में किशोर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। एक अन्य हादसे में अज्ञात वाहन की ठोकर से बाइक सवार की मौत हो गई। चौथी घटना में नहर में डूबने से युवक ने दम तोड़ दिया।

निर्माणाधीन मकान में काम कर रहा मजदूर उस समय हादसे का शिकार हो गया, जब वह सेटरिंग की लकड़ी लगाने का काम कर रहा था। अचानक लकड़ी मजदूर के ऊपर गिर गई। हादसे में मजदूर गंभीर अवस्था में घायल हो गया, जिसे अन्य मजदूरों की मदद से नजदीकी अस्पताल में दाखिल कराया गया। वहां चिकित्सकों ने हालत गंभीर देख उसे रीवा रेफर कर दिया। यहां उपचार के दौरान मजदूर ने दम तोड़ दिया। बताया गया कि सतना जिले के कोठी थाना क्षेत्र निवासी धमेन्द्र वर्मा पिता रामसखा वर्मा मजदूरी करता है। वह एक सप्ताह पूर्व रोज की तरह निर्माणाधीन घर में सेटरिंग लगाने का काम करने गया, जहां सेटरिंग की लकड़ी लगाते समय अचानक उसके ऊपर ही लकड़ी गिर गई। हादसे में मजदूर लकड़ी के ढेर में दब गया, जिसे अन्य मजदूरों की मदद् से बाहर निकाला गया और उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में दाखिल कराया गया। वहां हालत में सुधार न होने पर उसे रीवा रेफर किया गया। यहां उपचार के दौरान मजदूर ने दम तोड़ दिया।

किशोर ने फांसी लगाकर दी जान

किशोर ने अपने घर के कमरे में फांसी लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। मामले की जानकारी होने पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को कब्जे में ले लिया और पीएम कराकर परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल किशोर की मौत का कारण अज्ञात बताया गया है। मामला शुक्रवार सुबह गुढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम गौरा का बताया गया है। बताया गया कि ग्राम गौरा निवासी भगवान साकेत का 13 वर्षीय पुत्र विकाश कई दिन से उदास रहता था। परिजनों से भी किशोर पहले की तरह बात नहीं करता था। गुरुवार रात किशोर खाना खाकर अपने कमरे में सो गया। सुबह जब परिजन जगे तो किशोर के कमरे की ओर देखकर हैरान हो गए। किशोर फांसी के फंदे से लटक रहा था। परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम कराकर परिजनों को सौंप दिया एवं मामले को जांच में लिया है।

अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, युवक की मौत

शहर के सिरमौर चौराहा में विगत रात्रि किसी बड़े वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर अवस्था में घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। मौत की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने शव का पीएम कराकर परिजनों को सौंप दिया एवं अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर घटना की तहकीकात शुरू कर दी है। बताया गया कि कोतवाली थाना क्षेत्र के निपानिया निवासी संतोष सेन पिता श्यामलाल 34 वर्ष विगत रात्रि न्यू बस स्टैंड से बाइक में सवार होकर घर जा रहा था। जब युवक सिरमौर चौराहा के फ्लाईओवर पर पहुंचा, तभी विपरीत दिशा से आ रहे किसी अज्ञात बड़े वाहन ने उस ठोकर मार दी। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई।

ट्रैक्टर की बैट्री पार, दो पकड़ाए

रीवा। एक ठेकेदार के किराए के मकान में खड़े ट्रैक्टर की बैट्री बदमाशों ने पार की दी। पीड़ित ठेकेदार ने उक्त मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से दो संदेहियों को हिरासत में लिया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने बैट्री बरामद कर ली है।

जानकारी के मुताबिमक गोविन्दगढ़ थाना क्षेत्र निवासी राजेन्द्र पटेल हाल निवास शारदापुरम थाना समान में बालकृष्ण द्विवेदी के यहां किराए से रहता है, जो ठेकेदारी का काम करता है। वह उक्त किराए के मकान के सामने अपना ट्रैक्टर, जेसीबी सहित अन्य वाहनों को पार्क करता है। गुरुवार सुबह अज्ञात बदमाशों ने ठेकेदार के ट्रैक्टर से बैट्री पार कर दी। मामले की सूचना ठेकेदार ने थाने में पहुंचकर दर्ज कराई। पुलिस ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से दो बदमाशों को पकड़ लिया। पूछताछ में युवकों ने घटना को कबूल किया और पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी की बैट्री बरामद कर ली है।

नहर में डूबने से युवक की मौत

एक युवक उस समय काल के गाल में समा गया, जब वह शौच के लिए नहर के समीप गया और गहरे पानी मे समा गया। ग्रामीणों ने युवक को नहर से बाहर निकाला और आनन फानन में उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया। यहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। बताया गया कि बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के ग्राम खैरा निवासी संदीप विश्वकर्मा पिता कृष्णपाल विश्वकर्मा 29 वर्ष रोज की तरह शुक्रवार सुबह गांव के समीप नहर में शौच के लिए गया। जब युवक नहर के किनारे गया तो उसका पांव फिसल गया और वह सीधे गहरे पानी में समा गया। युवक की चीख-पुकार सुनकर ग्रामीणों ने नहर में कूदकर युवक को बाहर निकाला और उसे उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया।

दशहरा चल समारोह मार्ग का हो समतलीकरण पुख्ता हो प्रकाश और सुरक्षा व्यवस्था

रीवा। दशहरा पर्व पर शहर में निकलने वाले चल समारोह के मार्ग व स्थानों का कलेक्टर ने निरीक्षण कर सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने स्थानीय एन.सी.सी. मैदान में रावण पुतला दहन आयोजन कार्यक्रम में सुरक्षा सहित अन्य इंतजाम पुख्ता रखने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक आबिद खान आयुक्त नगर निगम सभाजीत यादव, अपर कलेक्टर इला तिवारी अनुविभागीय अधिकारी हुजूर फरहीन खान सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर ने चल समारोह मार्ग के समतलीकरण सहित प्रकाश व सुरक्षा के इंतजाम किये जाने के निर्देश दिये उन्होंने एनसीसी मैदान में बैरीकेटिंग की मजबूत व्यवस्था रखने तथा भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था हेतु निर्देशित किया।

In The Court of IV Civil Judge Class-I, District Court, Rewa
Presiding Officer : शशांक सिंह
(आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 372 भारतीय) उत्तराधिकार अधिनियम सक्सेशन
प्रकरण क्रमांक (MJC SUC/0000034/2019)
श्रीमती विद्यावती .... आवेदक
बनाम
मध्यांचल ग्रामीण बैंक .... अनावेदक
Process ID-/2019
पेशी दिनांक 09.11.2019

प्रेषिती -
(1) हर आम व खास पता - रीवा म.प्र.
(2) आम जनता

आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती विद्यावती पता ने मृतक सोनालिका सिंह पुत्री स्व. सुरेन्द्र निवासी ग्राम अजगरहा / हरिहरपुर तह. हुजूर पो. सगरा जिला रीवा (म.प्र.) की मध्यांचल ग्रामीण बैंक शाखा बोदाबाग, रीवा में जमाशुदा राशि का 1/7 हिस्सा 135956/- राशि/संपत्ति हेतु उत्तराधिकारी अथवा अभिभावक/संरक्षक नियुक्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये इस न्यायालय में आवेदन किया है, जिसकी सुनवाई दिनांक 09.11.2019 को नियत है।

यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रकरण में आवेदक को उक्त मृतक का उत्तराधिकारी अथवा अभिभावक /संरक्षक होने संबंधी प्रमाण पत्र जारी किये जाने में कोई आपत्ति हो अथवा उक्त प्रकरण में वह अपना हक समझता हो तो पेशी दिनांक 09.11.2019 को न्यायालय में स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहें।

सूचना उपरांत यदि अनुपस्थित रहें तो प्रकरण की सुनवाई एक पक्षीय की जाकर प्रकरण का निराकरण किया जावेगा।

यह आज तारीख 03 अक्टूबर 2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है।

(शशांक सिंह)
मोहर
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश-1
जिला रीवा (म.प्र.)

कृपया ध्यान दें -
1. यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा।
RN 67372

नाम सुधार सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे द्वारा पासपोर्ट बनवाने का आवेदन किया गया है और मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड में मेरा नाम बृजेन्द्र सिंह पटेल पिता रामफल सिंह पटेल है। जबकि मेरे 10वीं की अंकसूची में मेरा नाम Brisendra Singh S/o. R.P. Singh व 12वीं की अंकूसची में बृजेन्द्र सिंह पिता रामफल सिंह दर्ज है। Brisendra Singh S/o. R.P. Singh व बृजेन्द्र सिंह पिता रामफल सिंह दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। अत: मेरे पासपोर्ट में मेरा नाम Brijendra Singh Patel S/o. Ramphal Singh Patel पता 12/1103 बरा तहसील हुजूर, रीवा दर्ज किया जाये।

बृजेन्द्र सिंह पटेल पिता रामफल सिंह पटेल
पता 12/1103 बरा, तहसील हुजूर,
रीवा (म.प्र.) 486001
RN 66000

कार्यालय कार्यपालन अभियंता (संचा/संधा)
म.प्र.पू. क्षे.वि.वि.कं.लि. रीवा पश्चिम-संभाग

दूरभाष - 07662-257326 ई-मेल email : eesouth_rewa@yahoo.in

क्रमांक 053-45/04/6334-35 रीवा, दिनांक 04.10.19

प्रेस विज्ञप्ति

म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. रीवा (पश्चिम) संभाग क्षेत्रान्तर्गत माननीय उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि 33 के.व्ही. रीकन्डक्टरिंग का कार्य निर्माण उपसंभाग रीवा द्वारा दिनांक 5.11.19 से 21.11.19 तक कराया जाना है, जिसके तहत 132 के.व्ही. पहडिया सबस्टेशन से निकलने वाले 33 के.व्ही. फीडर की सप्लाई सुबह 10.00 बजे से शाम 2.00 बजे तक निर्धारित तिथियों में बन्द रहा करेगी। जिसमें 33 के.व्ही. लौआ एवं 33 के.व्ही बड़ी हर्दी (कठना) से निकलने वाले समस्त 11 के.व्ही.फीडर प्रभावित होंगे। आवश्यकतानुसार समय में परिवर्तन किया जा सकता है।

आर.के. पटेल
कार्यपालन अभियन्ता (संचा./संधा.)
म.प्र.पूर्व क्षेत्र वि.विं.कं.लि. रीवा (पश्चिम)

पंजीयन का नवीनीकरण नहीं करवाया तो किसान नहीं बेच सकेंगे धान

खरीदी केंद्र में कराना होगा नवीनीकरण

जागरण, रीवा। धान खरीदी वर्ष 2019-20 के लिए धान बिक्री पंजीयन के लिए सिर्फ 12 दिन ही शेष बचे हैं, लेकिन अब तक केवल 5 हजार किसान ही पंजीकृत हो पाए हैं। खासतौर से पुराने किसान पंजीयन में लापरवाही कर रहे हैं। हालांकि इस बार किसानों को खरीदी केंद्र में पंजीयन कराने की अनिवार्यता नहीं है। नए किसान अपने मोबाइल से भी एप डाउन लोड कर पंजीयन कर सकते हैं। इसके अलावा कियोस्क सेंटर से पंजीयन कराया जा सकता है। उल्लेखनीय यह है कि गत वर्ष रीवा जिले के 62 खरीदी केंद्रों में 42 हजार किसानों का पंजीयन हुआ था, लेकिन इस वर्ष रेन्युअल नहीं कराया। अब तक केवल 1189 किसानों ने ही अपना पंजीयन नवीनीकरण कराया है। बताया गया है कि मोबाइल एप से केवल एक व एमपी किसान एप से 233 किसानों ने पंजीयन कराया है। इससे साबित होता है कि अभी किसान मोबाइल एप के उपयोग से अनभिज्ञ हैं। जबकि कियोस्क सेंटर से 142 ने पंजीयन कराया है।

अब तक हुए पंजीयन पर एक नजर

कुल रजिस्ट्रेशन केंद्र	62
कुल पंजीयन	5241
नया पंजीयन	4052
नवीनीकृत पुराने पंजीयन	1189
कियोस्क सेंटर	142
मोबाइल एप से	01
एमपी किसान एप	233
रजिस्ट्रेशन सेंटर से	4065

अमानक खाद-बीज की बिक्री पर 3 दुकानों के लाइसेंस निरस्त

रीवा। कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा खाद, बीज तथा कीटनाशकों की गुणवत्ता की निगरानी की जा रही है। विभाग के निरीक्षण दल द्वारा मनगवां विकासखंड के गंगेव में संचालित रामशरण पटेल एण्ड ब्रदर्स दुकान से खाद के नमूने लिये गये। इसके नमूने पाये जाने पर उप संचालक यू.पी. बागरी ने अमानक खाद एसएसपी 16 प्रतिशत बैच नंबर सीएमजी-1912 की 450 क्विंटल मात्रा की बिक्री परिवहन तथा भण्डारण पर प्रतिबंध के आदेश दिये हैं। यह कार्यवाही उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के प्रावधानों के तहत की गयी है। उप संचालक कृषि यू.पी. बागरी ने धान के अमानक बीज बेंचने वाले तीन दुकानदारों के बीज बिक्री लायसेंस निरस्त करने के आदेश दिये हैं। खाद, बीज तथा कीटनाशकों की गुणवत्ता की नियमित जांच कराई जा रही है। जांच के दौरान तीन दुकानदारों के धान बीज के नमूने अमानक पाये गये। शैल एग्रिकों एजेंसी इटौरा रायपुर कर्चुलियान के धान दुर्गा जी के 5002-टीएल एवं धान 6644 गोल्ड टीएल के नमूने अमानक पाये गये। दिवाकर बीज भण्डार सेमरिया विकासखंड सिरमौर के धान बीज जेकेआरएच-2082 टीएल तथा सूर्या ट्रेडर बघेड़ी चाकघाट के धान बीज पीआरएच-912 के नमूने लिए गये। इनकी जांच करायी जाने पर इन्हें अमानक पाया गया। दुकानदारों द्वारा अमानक बीजों की विक्री करके बीज नियम 1966 का उल्लंघन किया गया है। जिसके कारण तीनों दुकानदारों के बीज विक्री लायसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिये गये हैं।

कृषि विस्तार अधिकारी संघ की प्रदेश कार्यकारिणी गठित

रीवा। मध्यप्रदेश ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ के प्रांताध्यक्ष मनोहर गिरी ने रीवा संभाग की प्रांतीय कार्यकारिणी का गठन कर संगठन को सशक्त बनाने के लिए पदाधिकारियों की सूची जारी की है। इसमें रीवा जिले से रतन कुमार पाण्डेय जिला शाखा अध्यक्ष रीवा को कार्यकारी प्रान्ताध्यक्ष नियुक्त किया गया है एवं अध्यक्ष राकेश कुमार अग्निहोत्री को संभागीय अध्यक्ष रीवा नियुक्त किया गया है। जिले से प्रान्तीय कार्यकारिणी मे महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व दिये जाने पर जिले के साथियों ने उक्त दोनों पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी हैं।

In The Court Of III Additional District And Session Judge District Court, Shahdol
Presiding Officer: किशोर कुमार मिश्रा
सिविल अपील ग्रहण करने की सूचना
(RCA /0000013/2017)
शकीला बानो वगै....... अपीलार्थी
VS
नसीर अहमद वगै. .... प्रत्यार्थीगण
Process Id- 656
पेशी दिनांक 16/10/2019

प्रेषिती,
1) रफीक अहमद पिता स्व.खलील अहमद
2) रहीस अहमद पिता स्व.खलील अहमद
दोनों निवासी घोघर रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा म.प्र.

इस न्यायालय के समक्ष उपरोक्त अपीलार्थी शकीला बानो पति स्व.सफीक अहमद वगै.ने द्वितीय अति व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 शहडोल श्रीमती प्रेमा साहू के न्यायालय के व्यवहार वाद प्रकरण क्रमांक 1 ए/16 शकीला बानो वगै. विरूद्ध नसीर अहमद वगै. में दिनांक 31.01.2017 को पारित निर्णय व जयपत्र के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है।
और अत: यह याचिका इस न्यायालय के द्वारा अंतिम सुनवाई हेतु ग्रहण कर ली गई है। अत: आपको सूचित किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा इस मामले में अंतिम सुनवाई दिनांक 16 अक्टूबर 2019 को की जावेगी। यदि आप उसमें भाग लेना चाहे तो सुनवाई के दिन 11.00 बजे इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहे।
यह आज तारीख 06 सितम्बर 2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
न्यायालय की मुद्रा
टिप्पणी :1

कृपया ध्यान दें:- यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो अगामी कार्य दिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा।

न्यायाधीश
(के.के.मिश्रा)
तृतीय अपर जिला न्यायाधीश
शहडोल (म.प्र.)
आर.एन. 65998

In The Court Of III Additional District And Session Judge District Court, Shahdol
Presiding Officer: किशोर कुमार मिश्रा
सिविल अपील ग्रहण करने की सूचना
(RCA /0000049/2018)
शकीला बानो .... अपीलार्थी
VS
नसीर अहमद .... प्रत्यार्थीगण
Process Id- 654
पेशी दिनांक 16/10/2019

प्रेषिती,
1) रफीक अहमद पिता स्व.खलील अहमद
2) रहीस अहमद पिता स्व.खलील अहमद
दोनों निवासी घोघर रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा म.प्र.

इस न्यायालय के समक्ष उपरोक्त अपीलार्थी शकीला बानो पति स्व.सफीक अहमद ने व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 शहडोल श्री आर.प्रजापति के न्यायालय के व्यवहार वाद प्रकरण क्रमांक 70 ए/15 नसीर अहमद विरूद्ध शकीला बानो में दिनांक 09.04.2018 को पारित निर्णय व जयपत्र के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है।
और अत: यह याचिका इस न्यायालय के द्वारा अंतिम सुनवाई हेतु ग्रहण कर ली गई है।
अत: आपको सूचित किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा इस मामले में अंतिम सुनवाई दिनांक 16 अक्टूबर 2019 को की जावेगी। यदि आप उसमें भाग लेना चाहे तो सुनवाई के दिन 11.00 बजे इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहे।
यह आज तारीख 06 सितम्बर 2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
न्यायालय की मुद्रा
टिप्पणी :1

कृपया ध्यान दें:- यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो अगामी कार्य दिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा।

न्यायाधीश
(के.के.मिश्रा)
तृतीय अपर जिला न्यायाधीश
शहडोल (म.प्र.)
आर.एन. 65999

सार्वजनिक सूचना

न्यायालय-रामअवतार पटैल, व्यवहार न्यायधीश वर्ग-2 हनुमना जिला रीवा म.प्र.
क्रमांक .../न्या./2019 हनुमना, दिनांक 18.09.19
व्यवहार वाद प्रकरण क्र.-547ए/2017

1. जयकरण तनय मनदेवा बैगा उम्र 60 वर्ष मृतक

बनाम

1. बुद्धिमनान तनय देवमनि बैगा उम्र 50 वर्ष, 2. किन्नू उर्फ किनकू तनय कैलाश बैगा उम्र 36 वर्ष, 3. इन्द्ररनिय बेवा पत्नी सिपाही बैगा उम्र 80 साल, 4. गोपी तनय राधे कोल उम्र 60 साल, 5. जीतराव तनय कोटन बैगा उम्र 60 साल सभी निवासी नौढिया तहसील सिंहावल थाना अमिलिया जिला सीधी (म.प्र.), 6. रामजियावन तनय गंभीरे बैगा उम्र 62 (मृतक), (अ) रघुराई बैगा पिता रामजियावन बैगा, (ब) कलुआ बैगा पिता रामजियावन बैगा, (स) छोटे बैगा पिता रामजियावन बैगा सभी निवासी जडकुड पो. बीरादेही तहसील हनुमना जिला रीवा (म.प्र.), 7. मिठाईलाल तनय गंभीरे बैगा उम्र 60 साल, 8. बिहारीलाल तनय गंभीरे बैगा उम्र 58 साल, 9. राजवीर तनय मुगुल बैगा उम्र 30 साल, 10. विरंजी तनय सीताराम बैगा उम्र 70 साल, 11. राजकुमार तनय सुदामा बैगा उम्र 60 साल, 12. शिवप्रसाद तनय दत्तू बैगा उम्र 60 साल, 13. प्रेमलाल तनय मिन्ना बैगा उम्र 65 साल, 14. जग्यलाल पिता सीता प्रसाद उम्र 60 साल, 15. ठाकुरदीन तयन भोदू सिंह गोड उम्र 80 साल, 16. छोटकईया बेवा पत्नी जगदीश प्रसाद बैगा उम्र 50 साल, 17. गल्लू तनय जगजीवन बैगा उम्र 30 साल, 18. मुखिया तनय जगजीवन बैगा उम्र 20 साल, 19. बेवा पत्नी छोटकउ बैगा उम्र 35 साल, 20. हलकू तनय छोटका बैगा उम्र 35 साल, 21. चन्दुल तयन छोटका बैगा उम्र 30 साल, 22. गुगवा उर्फ रंगदेव तनय बबउ बैगा उम्र 70 साल, 23. लमगिया बेवा पत्नी देवलाल बैगा उम्र 55 साल, 24. हिन्छलाल तनय रामरतन बैगा उम्र 60 साल, 25. रामपाल तनय रामरतन बैगा उम्र 68 साल, 26. श्रीधर तनय सहदेव गोड उम्र 60 साल **वासुदेव मृत के वारिसान** 27. चुगली बेवा पति वासुदेव, 28. हीरासाथ पिता वासुदेव, 29. मुन्नालाल पिता वासुदेव, 30. लल्ले पिता वासुदेव, 31. हिरई पिता वासुदेव सभी निवासी जडकुड थाना व तहसील हनुमना जिला रीवा म.प्र., 32. रामराह तनय रामखेलावन बैगा उम्र 70 साल, 33. रामबोध तनय रामखेलावन उम्र 68 साल, 34. राजनारायण तनय रामखेलावन बैगा उम्र 60 साल, 35. बच्चा तनय नजीर अहमद उम्र 60 साल, 36. मुन्सीरजा तनय नजीर अहमद उम्र 55 साल निवासी जडकुड थाना व तहसील हनुमना जिला रीवा म.प्र., 37. शासन म.प्र. राज्य द्वारा जिलाध्यक्ष महोदय रीवा (म.प्र.)

दावा स्वत्व घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा हेतु अंतर्गत 34,38 विशिष्ट सहायत अधिनियम 1963

वादी जयकरण द्वारा आपके विरूद्ध दावा स्वत्व घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा हेतु का न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसकी सुनवाई तारीख 04.12.2019 को 11.00 बजे दिन होगी। अगर उस दिन अवकाश घोषित हो जाता है तो आगामी कार्य दिवस में कार्यवाही होगी।

सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से आम जन को सूचित किया जाता है कि यदि वे दावा के संबंध में कोई हक या अधिकार रखते हैं तो पेशी दिनांक 04.12.2019 को न्यायालय में स्वयं, अभिकर्ता या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत न करने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी। आज दिनांक 18.09.2019 को न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।

मोहर
(रामअवतार पटैल)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
हनुमना, जिला रीवा (म.प्र.)
R.N.67375

कार्यालय नगर परिषद त्योंथर जिला रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / **759** / न.परि. / श.स.आ.द्वार / 2019 त्योंथर दिनांक **3/10/19**

सूचना

एतद् द्वारा नगर वासियों को सूचित किया जाता है कि शासन द्वारा संचालित शहर सरकार आपकें द्वारा अभियान चलाया जाना है, उक्त अभियान में नगरीय क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का समाधान व निराकरण भी किया जायेगा। जिसके लिए नगरीय क्षेत्र के निम्न स्थानों में कैम्प की भी व्यवस्था की गयी है, जिसमें सभी नगर के लोग अपनी-अपनी समस्याओं का निराकरण कराने के लिए निम्नानुसार कैम्पों की स्थापना की गयी है:-

क्र.	स्थान का नाम	दिनांक	समय	निराकरण का वार्ड
1	2	3	4	5
1	शा.कन्या उच्चतर माध्य.वि.त्योंथर के प्रांगण में	06.10.2019	सुबह 9 बजे से 05 बजे तक	वार्ड क्र. 01 से 03 तक
2	विश्राम गृह के पचामा के प्रांगण में	05.10.2019	सुबह 9 बजे से 05 बजे तक	वार्ड क्र. 05, 06 एवं 07
3	शा.उत्कृष्ट उच्चतर माध्य.वि. बालक के प्रांगण में	08.10.2019	सुबह 9 बजे से 05 बजे तक	वार्ड क्र. 04 एवं 08
4	शा.प्राथमिक पाठशाला बाबूपुर के प्रांगण में	10.10.2019	सुबह 9 बजे से 05 बजे तक	वार्ड क्र. 09 एवं 10 तक
5	शा. प्राथमिक पाठशाला शाहपुर के प्रांगण में	11.10.2019	सुबह 9 बजे से 05 बजे तक	वार्ड क्र. 11 एवं 12 तक
6	मंगलम भवन	12.10.2019	सुबह 9 बजे से 05 बजे तक	वार्ड क्र. 13 एवं 14, 15

अतः कैम्प के चिन्हित स्थानों पर वार्डवासी अपनी-अपनी समस्याओं एवं लाभावित के सम्बन्ध में अपने-अपने आवेदन पत्र निर्धारित स्थान समय पर उपस्थित होकर कर सकते है।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद त्योंथर
जिला रीवा (म.प्र.)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि.वि./ यां.संभाग रीवा

क्रमांक/3458/कार्य/निविदा/2019-20 रीवा, दिनांक 20/09/2019
निविदा क्र. D-10/2019-20 रीवा, दिनांक 20/09/2019

निविदा आमंत्रण- सूचना

निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है। जिसका विवरण www.mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है। आमंत्रित निविदा का संक्षिप्त विवरण।

क्र.	टेण्डर आई. डी क्रमांक	कार्य का नाम	आमंत्रण क्र.	कार्य पूर्ण करने की समयावधि	कार्य की अनुमानित	अमानती राशि	भौतिक रूप से दस्तावेज जमा करने का कार्यालय
1	2019_PWDRB_54502_1	उपखण्ड रीवा, जिला-रीवा के स्वागत भवन सेक्सन के अंतर्गत आवासीय एवं गैर-आवासीय भवनों में विद्युतीकरण के के ए.आर./एस.आर./एम.ओ. डब्लू./डिपाजिट के कार्यों का जोनल निविदा।	प्रथम आमंत्रण	1 वर्ष	924000=00	18480=00	कार्यालय कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. (वि./यां. रीवा संभाग रीवा दिनांक 17/10/2019 तक समय 5.30 तक
2	2019_PWDRB_54502_2	उपखण्ड रीवा, जिला-रीवा के शिल्पी प्लाजा सेक्सन के अंतर्गत आवासीय एवं गैर-आवासीय भवनों में विद्युतीकरण के के ए.आर./एस.आर./एम.ओ. डब्लू./डिपाजिट के कार्यों का जोनल निविदा।	प्रथम आमंत्रण	1 वर्ष	924000=00	18480=00	कार्यालय कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. (वि./यां. रीवा संभाग रीवा दिनांक 17/10/2019 तक समय 5.30 तक
3	2019_PWDRB_54502_3	उपखण्ड रीवा, जिला-रीवा के जी.ई.सी. सेक्सन के अंतर्गत आवासीय एवं गैर-आवासीय भवनों में विद्युतीकरण के के ए.आर./एस.आर./एम.ओ. डब्लू./डिपाजिट के कार्यों का जोनल निविदा।	प्रथम आमंत्रण	1 वर्ष	924000=00	18480=00	कार्यालय कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. (वि./यां. रीवा संभाग रीवा दिनांक 17/10/2019 तक समय 5.30 तक
4	2019_PWDRB_54502_4	उपखण्ड रीवा, जिला-रीवा के एस.जी.एम.एच. सेक्सन के अंतर्गत आवासीय एवं गैर-आवासीय भवनों में विद्युतीकरण के के ए.आर./एस.आर./एम.ओ. डब्लू./डिपाजिट के कार्यों का जोनल निविदा।	प्रथम आमंत्रण	1 वर्ष	924000=00	18480=00	कार्यालय कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. (वि./यां. रीवा संभाग रीवा दिनांक 17/10/2019 तक समय 5.30 तक
5	2019_PWDRB_54502_5	उपखण्ड रीवा, जिला-रीवा के जी.एम.एच. सेक्सन के अंतर्गत आवासीय एवं गैर-आवासीय भवनों में विद्युतीकरण के के ए.आर./एस.आर./एम.ओ. डब्लू./डिपाजिट के कार्यों का जोनल निविदा।	प्रथम आमंत्रण	1 वर्ष	924000=00	18480=00	कार्यालय कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. (वि./यां. रीवा संभाग रीवा दिनांक 17/10/2019 तक समय 5.30 तक
6	2019_PWDRB_54502_6	उपखण्ड रीवा, जिला-सतना के मैहर सेक्सन के अंतर्गत आवासीय एवं गैर-आवासीय भवनों में विद्युतीकरण के के ए.आर./एस.आर./एम.ओ. डब्लू./डिपाजिट के कार्यों का जोनल निविदा।	प्रथम आमंत्रण	1 वर्ष	924000=00	18480=00	कार्यालय कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. (वि./यां. रीवा संभाग रीवा दिनांक 17/10/2019 तक समय 5.30 तक
7	2019_PWDRB_54502_7	उपखण्ड रीवा, जिला-सतना के सर्किट हाउस सेक्सन के अंतर्गत आवासीय एवं गैर-आवासीय भवनों में विद्युतीकरण के के ए.आर./एस.आर./एम.ओ. डब्लू./डिपाजिट के कार्यों का जोनल निविदा।	प्रथम आमंत्रण	1 वर्ष	924000=00	18480=00	कार्यालय कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. (वि./यां. रीवा संभाग रीवा दिनांक 17/10/2019 तक समय 5.30 तक
8	2019_PWDRB_54502_8	उपखण्ड रीवा, जिला-सतना के सिविल लाईन मुख्यालय सेक्सन के अंतर्गत आवासीय एवं गैर-आवासीय भवनों में विद्युतीकरण के के ए.आर./एस.आर./एम.ओ. डब्लू./डिपाजिट के कार्यों का जोनल निविदा।	प्रथम आमंत्रण	1 वर्ष	924000=00	18480=00	कार्यालय कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. (वि./यां. रीवा संभाग रीवा दिनांक 17/10/2019 तक समय 5.30 तक

निविदा फार्म **Online** भुगतान कर 15/10/2019 को शाम 5.30 तक क्रय किये जा सकते हैं। भौतिक दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि 17/10/2019 को शाम 5.30 तक होगी। विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना व अन्य विस्तृत जानकारी उपरोक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है। जिसे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखी जा सकती है। किसी भी प्रकार का संशोधन समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जायेगा केवल वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।
निविदा दिनांक :- 18/10/2019 को दोपहर 3 बजे निविदाकारों के समक्ष खोली जावेगी।
नोट:- प्रत्येक टेण्डर अलग-अलग लिफाफे में अलग-अलग स्पीड पोस्ट से प्रेषित करें अन्यथा मान्य नहीं होगा।

कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग (वि./यां.)
संभाग रीवा (म.प्र.)
जी-17432/19

प्लास्टिक से तिरंगे का निर्माण पर्यावरण का नुकसान